मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०२२

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है. संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) में,—

(१) धारा ९ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) नगरपालिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित महापौर अर्थात् सभापति;";

(ख) उपधारा (४) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(४) यदि कोई नगरपालिक क्षेत्र महापौर का निर्वाचन करने में असफल रहता है, या कोई वार्ड पार्षद् का निर्वाचन करने में असफल रहता है, तो यथास्थिति, ऐसे नगरपालिक क्षेत्र या वार्ड के स्थान को भरने के लिए छह माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जाएगा:

परंतु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या समितियों में से किसी के निर्वाचन की कार्यवाहियां, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते स्थगित नहीं की जाएंगी.".

(२) धारा १० में, उपधारा (४) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"परंतु किसी भी नगरपालिक निगम के कार्यकाल की पूर्णता के दो माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, जिसमें असफल होने पर राज्य निर्वाचन आयोग प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा.".

(३) धारा १४ में,—

(क) उपधारा (१) में, शब्द "पार्षदों" के पश्चात्, शब्द "तथा महापौर" अंत:स्थापित किये जाएं.

(ख) उपधारा (२) में, शब्द "पार्षदों" के पश्चात्, शब्द "तथा महापौर" अंत:स्थापित किये जाएं.

(४) धारा १४-क में, उपधारा (१) में, शब्द ''पार्षद्'' के स्थान पर शब्द ''महापौर अथवा पार्षद्'' स्थापित किए जाएं.

(५) धारा १४-ख में, शब्द ''पार्षद्'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर अथवा पार्षद्'' स्थापित किए जाएं.

(६) धारा १४-ग में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात् शब्द ''या महापौर'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(७) धारा १५ में,—

(क) शब्द ''पार्षदों'' के पश्चात् शब्द ''या महापौर'' अंत:स्थापित किए जाएं.

(ख) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु कोई भी व्यक्ति यथास्थिति, पार्षदों के किसी निर्वाचन में या महापौर के निर्वाचन में, एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा.''.

(८) धारा १६ में, उपधारा (३) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा जोड़ी जाए, अर्थात्:—

''(४) यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद् दोनों पदों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा.''.

(९) धारा १७ में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' जोड़े जाएं.

(ख) उपधारा (१) में,—

(एक) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्त:स्थापित किए जाएं;

(दो) खण्ड (ख ख) में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्त:स्थापित किये जाएं.

(ग) उपधारा (२) में,—

(एक) शीर्ष में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' जोड़े जाएं;

(दो) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्त:स्थापित किए जाएं;

(तीन) खण्ड (ङ) में, शब्द ''पार्षद्'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्त:स्थापित किए जाएं;

(घ) उपधारा (३) में, शब्द ''पार्षद्'' जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर, शब्द ''पार्षद् या महापौर'' स्थापित किए जाएं.

(१०) धारा १७-ख में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में, शब्द ''पार्षद्'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर तथा पार्षद्'' स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (१) में, प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''प्रत्येक पार्षद्'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर तथा प्रत्येक पार्षद्'' स्थापित किए जाएं;

(ग) उपधारा (२) में,—

(एक) प्रारंभिक पैरा में, शब्द ''पार्षद्'' जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर, शब्द ''महापौर तथा पार्षद्'' स्थापित किए जाएं;

(दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु संभागीय आयुक्त की अनुमति के सिवाय, यदि कोई महापौर या पार्षद्, यथास्थिति, अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन की तारीख से तीन माह के भीतर शपथ नहीं लेता है तो उसका स्थान स्वयंमेव ही रिक्त हुआ समझा जाएगा.''.

(११) धारा १८ में,—

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात्:— ''अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन'';

(ख) उपधारा (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(१) निगम का महापौर तथा निर्वाचित पार्षद्, धारा २२ के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, विहित रीति में, सम्मिलन में, निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे, जिसे कलक्टर द्वारा बुलाया जाएगा तथा वह उसकी अध्यक्षता करेगा.'';

(ग) उपधारा (३) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) उपधारा (१) के अधीन सम्मिलन, कलक्टर द्वारा बुलाया जाएगा और जिसकी अध्यक्षता कलक्टर द्वारा की जाएगी. पीठासीन अधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा और मतों के बराबर होने की दशा में, परिणाम का विनिश्चय, ऐसी रीति में, जैसी की विहित की जाए, लॉट द्वारा किया जाएगा.''.

(१२) धारा २० में, स्पष्टीकरण में, शब्द ''तथा महापौर'' का लोप किया जाए.

(१३) धारा २३-क में,—

(क) पार्श्व शीर्ष में तथा उपधारा (१) में, शब्द ''या महापौर'' जहां कहीं भी वे आए हों, का लोप किया जाए;

(ख) उपधारा (२) के खण्ड (दो) में, शब्द ''अध्यक्ष, महापौर'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर'' स्थापित किया जाए.

(१४) धारा २३-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''२४. महापौर का वापस बुलाया जाना—

(१) किसी निगम के प्रत्येक महापौर द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि उसे ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो कि विहित की जाए, निगम क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं के बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए:

परन्तु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रक्रिया तब तक आरम्भ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि ऐसी कोई प्रक्रिया:—

(एक) उस तारीख से, जिसको कि ऐसा महापौर निर्वाचित होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर; और

(दो) यदि महापौर उप चुनाव में निर्वाचित होता है तो उसकी पदावधि की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो,

आरंभ नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और भी कि महापौर को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया उसकी संपूर्ण पदावधि में एक बार ही आरम्भ की जाएगी.

(२) संभागीय आयुक्त अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापित कर लेने के पश्चात् कि उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी.

(३) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, मतदान कराने की व्यवस्था करेगा.''.

(१५) धारा ४४१ में, उपधारा (२) में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, नगरपालिक क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा.''.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) में,—

(१) धारा २९ में उपधारा (४) में, प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु किसी भी नगरपालिक परिषद् के कार्यकाल की पूर्णता के दो माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, जिसमें असफल होने पर राज्य निर्वाचन आयोग प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकेगा:''.

(२) धारा ३४ में,—

(क) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, अंक तथा शब्द ''२५ वर्ष'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''२१ वर्ष'' स्थापित किए जाएं;

(ख) उपधारा (४) का लोप किया जाए.